

संघ में पेड़ लगाओ,
पानी बचाओ व पॉलीथिन
हटाने' पर होगा मंथन
आगरा

पर्यावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय गतिविधि है। इस गतिविधि को संघ में हाल के दिनों ग्वालियर में आयोजित अ.भा. प्रतिनिधि सभा की बैठक में जोड़ा गया था। पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षों के कटान को रोकना, अधिकाधिक पौधों का रोपण और उनका पालन, जल संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से संघ द्वारा आगरा व पुणे में अ.भा. पर्यावरण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए गुरुवार को मदिवा कटरा स्थित होटल वैभव पैलेस में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए संघ की पर्यावरण गतिविधि के अ.भा. सह प्रमुख राकेश जी जैन ने बताया कि आगरा में बैठक 22 सितंबर को फतेहाबाद रोड स्थित पल्स रिसोर्ट में आयोजित होगी। इसमें 23 प्रांतों के पर्यावरण गतिविधि से जुड़े करीब 250 कार्यकर्ताओं की सहभागिता रहेगी। बैठक में प्रकृति से जुड़े कार्यों की योजना और रूपरेखा बनेगी। इसमें संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी व पर्यावरण गतिविधि के अ.भा. प्रमुख गोपाल जी आर्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

एकात्म भारत ई-पेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर @EkatmaBharat को फॉलो कर सकते हैं। शीघ्र ही एकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध होगा। आप ई-मेल ekatmabharat@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।



आप तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष से बोले जज

अयोध्या में पूजा करने के प्रमाण मांगने पर जस्टिस भूषण ने मुस्लिम पक्ष को याद दिलाए गवाह के बयान

एकात्म भारत. दिल्ली

श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई में सुन्री वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन को गुरुवार को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। धवन ने गुरुवार को पुनः कोर्ट में कहा कि किसी गवाह के बयान से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चबूतरे के पास बने रेलिंग पर लोग पूजा के लिए क्यों जाते थे? इस पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि 1935 से वे राम जन्मभूमि पर पूजा के लिए जाते थे। ऐसे में यह तर्क ठीक नहीं है कि वहां पूजा करने के कोई प्रमाण नहीं हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि आप तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। गुरुवार की सुनवाई के दौरान कुछ इस तरह की बहस हुई-

राजीव धवन: मेरा कहना है कि 1949 के केस के बाद ही तमाम गवाह सामने बयान के लिए आए हैं लेकिन किसी गवाह के बयान से जाहिर नहीं होता कि रेलिंग के पास लोग पूजा के लिए क्यों जाते थे। इस बात का किसी को पता नहीं है। (दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया था कि राम चबूतरा के पास बने रेलिंग के पास लोग पूजा के लिए क्यों जाते थे?)।



गवाह के बयान है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग प्रेरित करते थे। औरंगजेब के समय से ही दोनों समुदाय के लोग वहां प्रार्थना के लिए जाते थे। हिंदू पक्ष के एक गवाह के बयान से साफ है कि बीच वाले गुंबद के नीचे कोई मूर्ति नहीं थी वहां कोई पूजा नहीं होती थी। मूर्ति वहां 1949 में रखी गई।

जस्टिस अशोक भूषण: एक गवाह राम सूरत तिवारी का बयान भी है। उसके बयान में कहा गया है कि जब वह 12 साल के थे तब वह अपने पिता के साथ अयोध्या जाते रहे हैं। 1935 से वह

अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा के लिए जाते थे। उसने बयान दिया था कि वहां पूजा होती थी। ऐसे में ये तर्क देना ठीक नहीं होगा कि बीच वाले गुंबद में हिंदुओं की ओर से पूजा किए जाने के सबूत नहीं हैं। आप साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसे साक्ष्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पक्षकार ने उस बयान को रफर नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट सवाल नहीं पूछ सकता। ये हाई कोर्ट के जजमेंट का पार्ट है इसलिए सवाल है। राजीव धवन: लेकिन इस तरह के

बयान विश्वास योग्य नहीं हो सकते। जस्टिस भूषण: लेकिन गवाह के बयान को कैसे देखा जाए ये तो कोर्ट पर आप छोड़िए।

राजीव धवन: मुझे माई लॉर्ड का अंदाजे बयान थोड़ा सख्त लगा।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़: अदालत इसलिए सवाल पूछती है ताकि चीजों में स्पष्टता रहे। हम आपको बेहतर तरीके से समझें इसलिए भी सवाल होता है।

राजीव धवन: मैं माफी चाहता हूँ। वहां राम चबूतरे का जिक्र है और वहां लोग पूजा करते थे। 1980 के बाद जन्मभूमि का सिद्धांत सामने आया है। जन्मभूमि और जन्मस्थान उसके बाद का ही कॉन्सेप्ट है। 1885 में तमाम कार्रवाई राम चबूतरा के लिए हुई थी। उस वक्त भगवान राम का जन्मस्थान वही बताया गया था। मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे के स्थान का जिक्र नहीं था। ऐसा सबूत नहीं है कि लोग रेलिंग के पास पूजा के लिए जाते थे या फिर बीच वाले गुंबद के नीचे पूजा के लिए जाते थे। पूजा सिर्फ बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर होती थी और उसी को जन्मस्थान बताया गया है।

मुख्य न्यायाधीश का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भोजनावकाश के बाद मामले की सुनवाई नहीं हुई।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की सार्थक भूमिका होनी चाहिए

सरसंघचालक जी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में डॉ. यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विवि, में प्राध्यापक संगोष्ठी में कहा
एकात्म भारत.दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने संगोष्ठी में कहा कि संतों, महात्माओं ने भारत की विशेषता सदियों से चली आ रही संस्कृति को बताया है, सदियों से अपने देश की एक संस्कृति रही है, जो

विभिन्न पूजा-पद्धतियां होते हुए भी सम्पूर्ण देश को जोड़ती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति का गौरव होना चाहिए। जिस मनुष्य को अपने राष्ट्र की पहचान नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है।

सर संघचालकजी ने आगे कहा कि राष्ट्र हमको जोड़े रखने के लिए एक शक्ति व प्रेम देता है। अपने कर्तृत्व से सुख-शांति प्राप्त कर अपना जीवन ठीक करो, ये सब अपनी संस्कृति कहती है। इस प्रकार प्रामाणिकता, निस्वार्थ बुद्धि से नई पीढ़ी को तैयार करेंगे तो ही राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सार्थक होगी। उन्होंने

कहा कि आज के दौर में शिक्षकों को राष्ट्र की परिकल्पना स्पष्ट चाहिए। उन्होंने यूरोप में उत्तम शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध देश फिनलैंड में शिक्षा प्रणाली के विषय में बताया कि वहां पर अभिभावक बच्चों पर अधिक अंक लाने का जोर नहीं देते हैं, वह कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वर्तमान समय में जीने के लिए संघर्ष करना सिखाते हैं। इसलिए वे स्वतः ही अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करते हैं। स्कूलों में चौथी कक्षा तक का पाठ्यक्रम मातृभाषा में रहता है। इसके बाद यदि छात्र या उनके

अभिभावकों का विचार छात्र को अन्य व विदेशी भाषा का भी ज्ञान देने का हो तो आगामी कक्षाओं में उसकी व्यवस्था रहती है इस अवसर पर प्राध्यापकों की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरसंघचालक जी ने कहा कि टीवी और मीडिया में मनगढ़ंत चरित्र अब युवा पीढ़ी के आदर्श बताए जा रहे हैं। राम के आदर्शों की चर्चा परिवारों में कम हो गई है, फिर भी युवा पीढ़ी में कुछ युवा उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें भी अपना उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।